न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/2022/प्रा.पत्र/2022	20.07.2022	20.09.2024

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आरिका ट्रेडिंग कम्पनी रेलवे फाटक के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक निवासी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021 मोबाईल नं. 8005960292
2–श्री कृष्णा अवतार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा सेल्स सुमेर नगर विस्तार क्यू ब्लॉक मानसरोवर जयपुर राज.। निवासी 119/367, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर राज.। पिनकोड–302020 मोबाईल नं. 9461617728

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री पंकज जैन एवं निर्माता फर्म प्रतिनिधि
श्री प्रदीप खण्डेलवाल उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 20.09.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 18.02.2022 को समय 12:49 पी.एम. पर मैसर्स आरिका ट्रेडिंग कम्पनी रेलवे फाटक के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कराबोर करते हुए उपस्थित मिला, श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** के 130–130 ग्राम के 27 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पंकज जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री पंकज जैन एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया तथा दुकान में रखे 130–130 ग्राम के 27 नग पॉली पैक में से 16 नग पॉली पैक **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** के 130–130 ग्राम के 16 नग पॉली पैक में से चार–चार पैकेट को ज्यों का त्यों कागज के डिब्बे में रखकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3092 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3092 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कृष्णा सेल्स सुमेर नगर विस्तार क्यू ब्लॉक मानसरोवर जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/811 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/955/एक्ट/2022/1027 दिनांक 22.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री पंकज जैन स्वयं एवं निर्माता फर्म की ओर से प्रतिनिधि श्री प्रदीप खण्डेलवाल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फ्लेवर्ड सुपारी स्वीट् सुपारी प्रीमियम माही ब्राण्ड (Betul Nut Sweet Supari Premium Flavoured Supari Mahi Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक